अध्याय - 3

जल विद्युत परियोजनाओं की शुरूआत और आबंटन के लिए ढांचा

3.1 जल विद्युत परियोजनाओं की रूपरेखा

जल विद्युत का सृजन बहते हुए अथवा गिरते हुए पानी के गुरूत्वाकर्षण बल के उपयोग के माध्यम से होता है। पानी से निकलने वाली विद्युत मात्रा जल[20] के स्त्रोत तथा उसके प्रवाह के बीच की ऊंचाई में अन्तर पर निर्भर करता है। एक बड़ा पाईप जिसे पैनस्टॉक कहते हैं टरबाईन को पानी भेजता है।

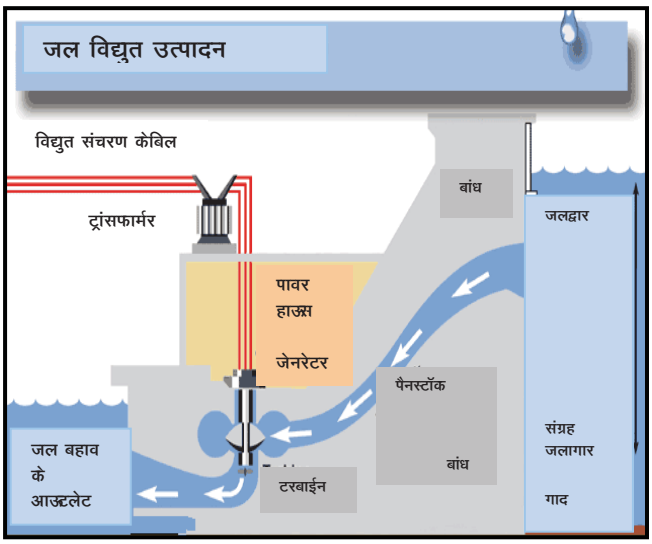

एक जल विद्युत परियोजना नदी[21] अथवा इकट्ठा किए हुए पानी से चलाई जा सकती है। अतः जल विद्युत परियोजनाओं की विशेषताएं और विनिर्देशन योजना के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। जल विद्युत परियोजना की सृजन क्षमता विभिन्न कारणों पर निर्भर करती है जैसे जल-प्रवाह, शीर्ष,[22] आदि।

3.2 नई जल विद्युत परियोजनाओं की पहचान की प्रक्रिया

जल परियोजनाओं के पहचान की प्रक्रिया केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) से शुरू होती है। जल विद्युत परियोजना के स्थलों की पहचान सीईए द्वारा होती है। निम्नलिखित प्रक्रियाएं जलविद्युत परियोजनाओं के विकास में साथ-साथ होती हैं

---

20 *नदी के ऊपर तथा नदी के नीचे के जल-स्तर में जितना अधिक ऊंचाई का अन्तर होगा, उतना ही अधिक बिजली की मात्रा का सृजन होगा।*

21 *नदी जल विद्युत, स्टेशनों का वेग कम अथवा बिना जलाशय क्षमता का होता है, ताकि नदी के ऊपर से आने वाले पानी का उपयोग उसी क्षण सृजन के लिए किया जाना चाहिए, अथवा बांध से हटकर जाने देना चाहिए।*

22 *स्त्रोत तथा जल के प्रवाह के बीच के अन्तर को शीर्ष कहा जाता है।*

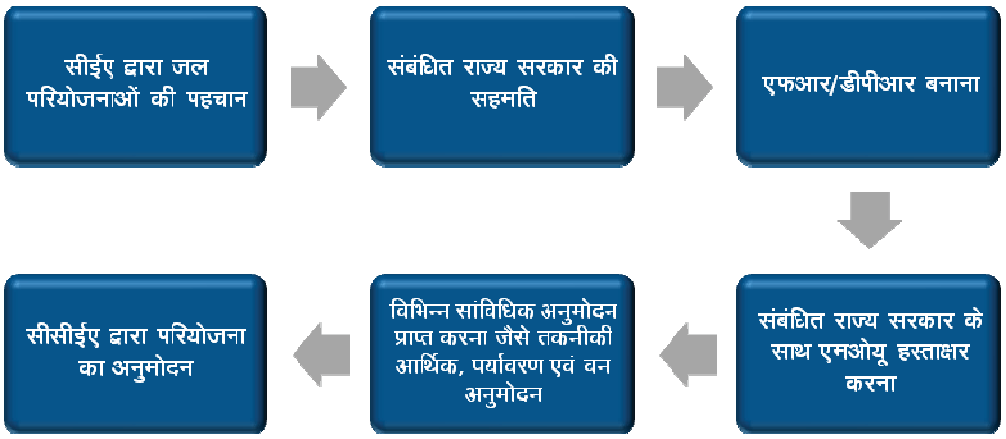

जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु विभिन्न अधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदनों के विवरण ***अनुबंध-I*** में दिए गए हैं।

3.3 कारपोरेट योजना

2007-12 की अवधि के लिए क्षमता संवर्धन में चूक होने के कारणों के विश्लेषण सहित कम्पनी-वार लक्ष्यों की व्याख्या नीचे की गई है :

एनएचपीसी लिमिटेड

3.3.1 कारपोरेट योजना को नकारना

कारपोरेट योजना निदेशक-मंडल (बीओडी) द्वारा 10,341 मे.वा. (11 परियोजनाएं) के क्षमता संवर्धन हेतु मार्च 2002 में अनुमोदित की गई थी जिसे मार्च 2012 तक प्राप्त किया जाना था जिसका विवरण ***अनुबंध- II*** में दिया गया है। निम्नलिखित बातों के दृष्टिगत लक्ष्य घटा कर 5,322 मे.वा. कर दिया गया था (अक्तूबर 2008)।

- 4,400 मे.वा. की क्षमता वाली तीन परियोजनाएं अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा निजी विकासकों को आबंटित की गई थी।
- संयुक्त उद्यमों के रूप में नियोजित 1,090 मे.वा. की क्षमता वाली दो परियोजनाएं अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ जेवी मामलों का समाधान न होने के कारण योजना अवधि में पूरी नहीं की जा सकी।
- डैम एक्सिस का ढांचा न बनाने तथा कानून व्यवस्था की समस्याओं के कारण 1,020 मे.वा. की एक परियोजना रह गई।

तथापि, पिछली योजना अवधि (2002-07)[23] से अग्रेषित पांच परियोजनाएं (1,442 मे.वा.) शामिल की गई थी तथा दो नई परियोजनाएं[24] (89 मे.वा.) जोड़ी गई थीं। इस प्रकार 2007-12 की अवधि का लक्ष्य 10,341 मे.वा. से संशोधित करके 5,322 मे.वा.[25] (12 परियोजनाएं) कर दिया गया था।

मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि एनएचपीसी ने परियोजनाएं शुरू करने के लिए अपेक्षित समस्त कार्रवाई कर ली थी। अरूणाचल प्रदेश में स्थित परियोजनाओं के संबंध में, जीओएपी के सुझावों को शामिल करते हुए एमओयू प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके। बाद में जीओएपी ने तीन परियोजनाएं निजी विकासकों को आबंटित कर दी।

एसजेवीएन लिमिटेड

3.3.2 अनुचित क्षमता संवर्धन योजना

एसजेवीएनएल ने अपनी कारपोरेट योजना (2004-14) में 1,404 मे.वा. के क्षमता संवर्धन का लक्ष्य रखा (जनवरी 2005) जिसे चार परियोजनाओं[26] के कार्यान्वयन के माध्यम से 2007-12 के दौरान प्राप्त किया जाना था। तथापि, बाद में, एसजेवीएनएल ने अपनी कारपोरेट योजना (2007-17) में निर्णय लिया (दिसम्बर, 2008) कि 2007-12 के दौरान वह केवल एक परियोजना अर्थात रामपुर परियोजना, (412 मे.वा.) ही कार्यान्वित करेगी।

लेखापरीखा ने देखा कि ये दोनों कारपोरेट योजनाएं केवल अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक द्वारा ही अनुमोदित थी तथा कारपोरेट योजना (2004-14) में शामिल परियोजनाओं (रामपुर परियोजना को छोड़कर) पर संबंधित राज्य सरकारों की विशिष्ट सहमति नहीं थी।

एसजेवीएनएल प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि कम्पनी ने अपनी बुद्धिमता के अनुसार वो परियोजनाए भी शामिल की थी जिनके लिए पहले आबंटित परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे और इस जोरदार अनुनय के कारण उत्तराखंड सरकार ने एक परियोजना (लुहड़ी) आबंटित की।

मंत्रालय/प्रबंधन ने यह भी बताया (मार्च 2012) कि कारपोरेट योजना बनाते समय भावी अवधियों के लिए केन्द्र/राज्य सरकार से आश्वासन प्राप्त करना संभव नहीं होता। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय/प्रबंधन ने भावी अनुपालन हेतु निदेशक मंडल के बजाय सीएमडी द्वारा कारपोरेट योजना का अनुमोदन किए जाने से संबंधित टिप्पणी नोट की (मार्च 2012)।

टीएचडीसी इण्डिया लिमिटेड एवं नीपको लिमिटेड

3.3.3 क्षमता संवर्धन योजनाओं का अभाव

टीएचडीसी ने 2007-12 की XIवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु कोई नई योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाए Xवीं पंच वर्षीय योजना की छोड़ी गई परियोजना (अर्थात 400 मे.वा. की

---

[23] *सेवा-II (120 मे.वा.), तीस्ता-V (510 मे.वा.), तीस्ता लो डैम-III (132 मे.वा.), तीस्ता लो डैम-IV (160 मे.वा.) तथा ओंकारेश्वर जेवी परियोजना (520 मे.वा.)*

[24] *चुटक (44 मे.वा.) तथा निम्मो-बाज़गो (45 मे.वा.)।*

[25] *उरी-II परियोजना जो शुरू में 280 मे.वा. के लिए बनाई गई थी घटा कर 240 मे.वा. कर दी गई थी।*

[26] *चुंगेर चाल (240 मे.वा.), खसियाबाद (260 मे.वा.), लुहड़ी (465 मे.वा.) तथा रामपुर (439 मे.वा.)।*

कोटेश्वर जल परियोजना) कारपोरेट योजना में शामिल की गई थी (अक्तूबर 2009)। नीपको ने भी 2007-12 की XIवीं योजना अवधि के दौरान किसी नए क्षमता परिवर्धन पर विचार नहीं किया गया था तथा Xवीं योजना (2002-07) की दो[27] छोड़ी गई परियोजनाएं ही शामिल की गई थी।

इस प्रकार, सभी चारों सीपीएसईज़ में उनके 11,813 मे.वा. के जल विद्युत क्षमता संवर्धन के मूल XIवीं पंच वर्षीय योजना के लक्ष्य की तुलना में कुल 6,794 मे.वा. की क्षमता वाली केवल 16 परियोजनाओं के निष्पादन की ही योजना बनाई गई थी।

3.4 दीर्घावधि योजना का अभाव

भारत सरकार की जल विद्युत नीति 2008 में XIIवीं योजना (2012-17), XIIIवीं योजना (2017-22) तथा XIVवीं योजना (2022-27) के लिए दीर्घावधि योजना थी जिसका जल क्षमता संवर्धन का लक्ष्य क्रमशः 30,000 मे.वा., 31,000 मे.वा. तथा 36,494 मे.वा. था तथा नीति में क्षमता संवर्धन की बेहतर तैयारी तथा 167 परियोजनाओं के सर्वेक्षण, जांच तथा डीपीआर तैयारी के समापन की कार्य योजना बनाने पर विचार किया गया था। इसमें सीपीएसईज़ के लिए XIIवीं योजना में 14,535 मे.वा. क्षमता की 33 परियोजनाओं की पहचान करने पर भी विचार किया गया था।

XIIवीं योजना के लिए सीपीएसईज़ की तैयारी की समीक्षा से निम्नलिखित बातों का पता चलाः

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	XIIवीं योजना (एमडब्ल्यू) के लिए परिकल्पित क्षमता संवर्धन	सीपीएसईज़ (एमडब्ल्यू) की तैयारी के अनुसार जितनी मात्रा जोड़ने की उम्मीद थी	टिप्पणी (विवरण जो सीपीएसईज़ द्वारा प्रस्तुत किए गए
1.	एनएचपीसी	4,502 (10 परियोजनाएं)	1,702 (8 परियोजनाएं)	XIIवीं योजना के लिए परिकल्पित क्षमता संवर्धन में XIवीं योजना से अग्रेनीत 4,172 मे.वा. शामिल है। 2800 में.वा.[28] की क्षमता के XIIवीं योजना से आगे जाने की संभावना है।
2.	एसजेवीएनएल	3,116 (7 परियोजनाएं)	412 (1 परियोजना)	सात में से छः परियोजनाएं (2704 मे.वा.) XIIIवीं योजना में पूरी होने की उम्मीद है।
3.	टीएचडीसी	1,000 (1 परियोजना)	1,000 (1 परियोजना)	2015-16 में चालू की जानी निर्धारित है
4.	नीपको	2,511 (7 परियोजनाएं)	660 (2 परियोजनाएं)	पांच परियोजनाओं के XIIIवीं योजना में पूरा होने की की उम्मीद है।
जोड़		**11,129 (25 परियोजनाएं)**	**3,774 (12 परियोजनाएं)**	**अनुमानित प्राप्ति केवल 34 प्रतिशत होगी।**

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि इन चारों सीपीएसईज़ द्वारा जल नीति 2008 में 2012-17 के लिए परिकल्पित 33 परियोजनाओं में 14,535 मे.वा. की तुलना में XIIवीं योजना में 12 परियोजनाओं मे केवल 3,774 मे.वा. क्षमता[29] (नियोजित क्षमता संवर्धन का 34 प्रतिशत) जोड़े जाने की संभावना है।

---

[27] कामेंग (600 मे.वा.) तथा ट्यूरियल (60 मे.वा.)

[28] पार्बती-II (800 मे.वा.) तथा सुंबसिरि लोअर (2,000 मे.वा.)

[29] XIवीं योजना से छोड़ी गई क्षमता के रूप में 2,444 मे.वा. सहित

3.5 प्रारंभिक क्रियाकलापों के लिए अपर्याप्त संरचनात्मक ढांचा

विभिन्न अनुमोदन तथा पश्च-अनुमोदन क्रियाकलाप जैसे एफआर/डीपीआर, बोली दस्तावेज़ बनाने, मुख्य कार्य पैकेजों के लिए एनआईटी जारी करने, बोलियों के मूल्यांकन तथा आवंटन की सिफारिश करने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाना अपेक्षित है। इन क्रियाकलापों को समय पर पूरा करना निवेश अनुमोदन के पश्चात् तत्काल मुख्य सिविल कार्य पैकेज़ दिए जाने को सुनिश्चित करता है ताकि परियोजनाएं निर्धारित समय के अन्दर ही पूरी की जा सके।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि सीसीईए को निवेश अनुमोदन हेतु टिप्पणी प्रस्तुत करने तक निवेश-पूर्व अनुमोदन क्रियाकलापों के लिए एमओपी द्वारा परिकल्पित (जून 2001) 30 महीने की समयावधि की तुलना में सीपीएसईज़ द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए लिया गया वास्तविक समय निम्न प्रकार से थाः

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मे.वा.में)	कम्पनी का नाम	30 महीने की निर्धारित समय सीमा के प्रति लिया गया वास्तविक समय
1.	पार्बती- III	520	एनएचपीसी	80
2.	निम्मो-बाज़गो	45	एनएचपीसी	58
3.	चुटक	44	एनएचपीसी	58
4.	उरी -II	240	एनएचपीसी	58
5.	तीस्ता लो डेम-IV	160	एनएचपीसी	56
6.	चमेरा-III	231	एनएचपीसी	46
7.	पार्बती-II	800	एनएचपीसी	42
8.	सुबसिरी लोअर	2,000	एनएचपीसी	36
9.	रामपुर	400	एसजेवीएनएल	33
10.	सेवा-II	120	एनएचपीसी	32
11.	तीस्ता -V	510	एनएचपीसी	32
12.	ओंकारेश्वर	520	एनएचडीसी (एनएचपीसी तथा मध्य प्रदेश सरकार के बीच जेवी)	32
13.	तीस्ता लो डैम-III	132	एनएचपीसी	29
14.	कोटेश्वर	400	टीएचडीसी	12[30]

[30] *परियोजना मूल रूप से नवम्बर 1986 में अवधारित की गई थी। तथापि, सचिव समिति ने कोटेश्वर परियोजना का कार्य टिहरी स्टेज-I के कार्य के बाद शुरू करने पर विचार किया (मार्च 1993) और इसीलिए उसका निष्पादन जनवरी 1999 में करने पर विचार किया गया था। अतः निवेश-पूर्व क्रियाकलाप करने की तारीख जनवरी 1999 तय की गई है।*

(क) निवेश-पूर्व क्रियाकलापों में विलम्ब

यह स्पष्ट है कि सीपीएसईज़ 14[31] परियोजनाओं में से केवल दो में ही निवेश-पूर्व अनुमोदन क्रियाकलाप समय रहते पूरे कर सका तथा पांच परियोजनाओं में छः महीने का मामूली विलम्ब हुआ था तथा एनएचपीसी से संबंधित शेष सात परियोजनाओं में 50 महीने तक का विलम्ब था। इस प्रकार एनएचपीसी के पास उनका समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए निवेश-पूर्व क्रियाकलापों की मॉनीटरिंग के लिए पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय/प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि जल विद्युत परियोजनाओं का विकास जटिल तथा 3 से 5 वर्ष की लम्बी प्रक्रिया है। सर्वेक्षण और जांच, डीपीआर बनाना, सांविधिक/गैर-सांविधिक अनुमोदन प्राप्त करना, निवेश निर्णय तथा वित्तीय बन्दी के लिए लम्बा समय अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण तथा वन अनुमोदन प्राप्त करने में विलम्ब का देश के क्षमता संवर्धन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ख) अनुमोदन प्राप्त करने मे लिया गया समय

इसके आगे किया गया अत्यधिक विलम्ब वाली पांच परियोजनाओं का विश्लेषण एमओपी द्वारा वर्णित बैंचमार्कों की तुलना में अनुमोदन प्राप्त करने तथा पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण (ईआईए) तथा पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन के समापन में अनावश्यक रूप से लिए गए समय को दर्शाता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	18 महीने के बैंचमार्क की तुलना में ईआईए/ईएमपी के समापन मे लिया गय समय	3-12 महीने के बैंचमार्क की तुलना में अनुमोदन (टीईसी पर्यावरण, वन आदि) प्राप्त करने में लिया गया समय
1.	पार्बती- III	49	80
2.	टीएलडीपी - IV	35	74
3.	उरी- II	20	51
4.	निम्मो बाज़गो	15	60
5.	चुटक	15	66

मंत्रालय/प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि एमओपी द्वारा त्रि-अवस्था अनुमोदन की पद्धति में निर्धारित समय सीमा विभिन्न अन्तर-मंत्रालय/अन्तर्राज्यीय परामर्शों के अध्यधीन है। तथापि, प्रबंधन ने इस बात से अपनी सहमति व्यक्त की कि यदि अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों सहित समस्त क्रियाकलापों के लिए समय सीमा नियत हो, तो विलम्ब में कमी हो सकती है।

---

[31] इसमें नीपको की दो परियोजनाएं शामिल नहीं हैं क्योंकि निष्पादन लेखापरीक्षा में योजना क्रियाकलाप शामिल नहीं थे।

(ग) विलम्ब के कारण

प्रारंभिक क्रियाकलापों की विभिन्न अवस्थाओं में विलम्ब की चर्चा नीचे की गई है:

लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर	अन्य टिप्पणी
ईआईए/ईएमपी अध्ययनों में विलम्ब एनएचपीसी ने टीएलडीपी-IV तथा चमेरा परियोजनाओं के संबंध में पर्यावरण प्रभाव निर्धारण (ईआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययन उनके समापन के पश्चात् एमओईएफ को प्रस्तुत करने में 7 और 11 महीने का समय लिया। लेखापरीक्षा ने देखा कि एनएचपीसी ने पर्यावरण अनुमोदन सहित पूरे दस्तावेज़ नहीं भेजे थे जो बाद में मांग करने पर प्रस्तुत किए गए थे जिनके कारण विलम्ब हुआ।	मंत्रालय/प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि पर्यावरण अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के माध्यम से की गई अनिवार्य सार्वजनिक सुनवाई की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, जिसमें समय लगता है और यह प्रायः एनएचपीसी के हाथ में नहीं होता।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है और उचित नहीं है क्योंकि एनएचपीसी ने तीस्ता-V, सेवा-II, पार्बती-II, पार्बती-III तथा सुबंसिरि लोअर परियोजनाओं में निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद भी ईआईए/ईएमपी अध्ययन एक महीने की अवधि के अन्दर एमओईएफ को प्रस्तुत कर दिए थे।
पर्यावरण अनुमोदन में विलम्ब एमओईएफ ने 11 परियोजनाओं (एनएचपीसी एवं एसजेवीएनएल) के लिए पर्यावरण अनुमोदन हेतु तीन महीने के बैंचमार्क की तुलना में 5 से 25 महीने तक का समय लिया। ये विलम्ब, अधूरे प्रस्ताव फार्म प्रस्तुत करने, अनुमोदन अधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की जांच में विलम्ब, चरणों में बहुविध प्रश्न उठाने तथा एमओईएफ को अनुपालन रिपोर्ट देर से प्रस्तुत करने के कारण हुए थे।	मंत्रालय/एनएचपीसी प्रबंधन ने बताया कि एमओईएफ से पर्यावरण अनुमोदन में विलम्ब एनएचपीसी द्वारा अधूरा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के कारण नहीं है, बल्कि विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) सदस्यों द्वारा बैठकों में मांगी गई विभिन्न अनुपूरक अतिरिक्त सूचना और लम्बी प्रक्रिया के कारण है। एसजेवीएनएल प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि उसने एमओईएफ को रामपुर एचईपी के पर्यावरण अनुमोदन का पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और उसे एमओईएफ के साथ ज़ोरों के साथ आगे बढ़ाया था। पर्यावरण अनुमोदन प्राप्त करने में लिए गए 14 महीने के कुल समय में से, राज्य स्तर पर लिया गया समय लगभग $10^{1}/2$ महीने था।	मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित अधिकारियों द्वारा मुख्यतः निर्धारित पद्धति के पूरा न होने के कारण ही बहुविध प्रश्न उठाए गए थे। यदि इन सीपीएसईज़ ने निर्धारित पद्धति का अनुसरण किया होता तथा तद्नुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया होता तो अनावश्यक विलम्ब काफी मात्रा में कम किया जा सकता था।
भूमि की मांग का गलत निर्धारण-एनएचपीसी पार्बती-II (800 मे.वा.) परियोजना के निर्माण हेतु एनएचपीसी को जलमग्नता क्षेत्र, जॉब सुविधाओं, डम्पिंग क्षेत्र, खदानों, सड़कों तथा नई सड़कों के पुनः संरेखण की बढ़ी हुई मांग के कारण शुरू से निर्धारित तथा अनुमोदित 87.79 हेक्टेयर की मांग को बढ़ा कर 145.62	एनएचपीसी प्रबंधन ने बताया (अक्तूबर 2011) कि निर्माण कार्यों के वास्तविक निष्पादन के समय, वन भूमि अपर्याप्त पाई गई थी।	प्रबंधन ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई आपत्तियां स्वीकार कर ली हैं।

लेखापरीक्षा आपत्ति	मंत्रालय/प्रबंधन का उत्तर	अन्य टिप्पणी
हेक्टेयर करना पड़ा। अतिरिक्त 57.83 हेक्टेयर भूमि के लिए वन अनुमोदन नवम्बर 2002 अर्थात सितम्बर 2002 में मुख्य सिविल कार्यों को देने के पश्चात् मांगा गया था। इस प्रकार परियोजना मे विलम्ब हुआ था क्योंकि एमओईएफ द्वारा अतिरिक्त भूमि के लिए वन अनुमोदन मार्च 2004 में दिया गया था।		
परियोजनाओं का नक्शा तथा मुख्य बातों के निर्धारण में विलम्ब एसजेवीएनएल एसजेवीएन लिमिटेड की रामपुर परियोजना के संबंध में कम्पनी ने कशोली खंड के निकट अतिरिक्त अदित[32] की मांग में विलम्ब के कारण पर्यावरण मंत्रालय से अतिरिक्त वन अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 23 महीने (मई 2007 से मई 2009) गंवा दिए।	मंत्रालय/एसजेवीएनएल प्रबंधन ने बताया (मार्च 2012) कि पर्याप्त सर्वेक्षण तथा जांच की गई थी और उनके आधार पर, डीपीआर बनाया गया था जिसकी बाद में भारत सरकार के विभिन्न प्रमुख अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी। अनुमोदित डीपीआर में, एचआरटी निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु चार अदित प्रस्तावित किये गए थे। तथापि, निष्पादन के दौरान अत्यधिक खराब भूविज्ञान के कारण गोशाई अदित की खुदाई की गई थी।	मंत्रालय तथा एसजेवीएनएल प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे हालातों का डीपीआर बनाते समय पर्याप्त सर्वेक्षण तथा जांच के साथ पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। जैसा कि जल विद्युत विकास नीति में विशेष रूप से विचार किया गया था (1998)।

जबकि लेखापरीक्षा इस बात की सराहना करता है कि जल विद्युत परियोजनाओं में जटिल तथा लम्बी प्रक्रिया है, मॉनीटरिंग तथा शीघ्र अनुमोदनों के लिए सचिव (विद्युत) की अध्यक्षता के अधीन नोडल मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के सदस्यों सहित एक उच्च-स्तरीय समिति के गठन के माध्यम से एकल विंडों तंत्र स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार किया जाना चाहिए।

3.6 निजी विकासकों को परियोजनाओं का आबंटन

भारत सरकार (जीओआई) ने अरूणाचल प्रदेश में एनएचपीसी को छः परियोजनाओं[33] का आबंटन किया (मई 2000)। बाद में अरूणाचल प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने इन छः परियोजनाओं में से चार का आबंटन निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों, एक परियोजना का एनटीपीसी को और शेष एक परियोजना का एनएचपीसी को किया जैसाकि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

---

[32] अदित भूमिगत सुरंगों में प्रवेश का एक प्रकार है जो क्षैतिज अथवा लगभग क्षैतिज हो सकता है।

[33] सियांग (दिहांग) नदी पर तीन परियोजनाएं-(i) सियांग अपर (ii) सियांग मिडिल (iii) सियांग लोवर और सुबनसीरी नदी पर तीन परियोजनाएं (i) सुबनसीरी अपर (ii) सुबनसीरी मिडिल और (iii) सुबनसीरी लोवर।

3.6.1 घटनाओं का कालानुक्रम

इन परियोजनाओं के आबंटन की घटनाओं के कालानुक्रम की चर्चा नीचे की गई है:

तारीख/माह	संक्षिप्त ब्यौरा
22 जनवरी 1999	विद्युत मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री को लिखा और सुझाव दिया कि दिहांग (13,400 मे.वा.) और सुबनसीरी (7,300 मे.वा.) जल परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जाँच को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता है। इस मामले की जाँच एमओडब्ल्यूआर, एमओपी और एमओएफ के परामर्श से पीएमओ द्वारा की गई थी।
9 अगस्त 1999	प्रधान मंत्री ने अनुमोदन दिया कि एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन इन परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं जाँच और कार्यान्वयन के लिए एमओपी द्वारा किया जाना चाहिए।
14 सितम्बर 1999	एमओपी ने निर्णय लिया कि एसपीवी के गठन में समय लग सकता है इसलिए इन परियोजनाओं के विकास के हित में यह होगा कि डीपीआर तुरंत समर्पित दलों द्वारा तैयार किया जाए। एसपीवीज के गठन पर इन परियोजनाओं को एसपीवी द्वारा लिया जाए।
25 नवम्बर 1999	एमओपी ने अपने निजी साधनों से दिहांग (अर्थात सिंयाग) की अपर और मिडिल स्थलों और सुबनसीरी बहु प्रयोजन परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जाँच को तुरंत आरंभ करने की एनएचपीसी को सलाह दी।
11 जनवरी 2000	एमओपी ने सिंयाग अपर, दिहांग मिडिल, सुबनसीरी अपर और सुबनसीरी मिडिल परियोजनाओं का सर्वेक्षण और जाँच करने के लिए ₹ एक करोड़ का व्यय करने के लिए एनएचपीसी को भारत के राष्ट्रपति की संस्वीकृति सूचित की।
22 मार्च 2000	इन सभी परियोजनाओं को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एनएचपीसी को सौंपा गया था। एमओडब्ल्यूआर ने यह सूचित किया कि एनएचपीसी सभी छः स्थलों का पूर्ण स्वामित्व ले सकता है।
1 मई 2000	एमओपी ने अरूणाचल प्रदेश में एनएचपीसी को दिहांग (13,400 मे.वा.) और सुबनसीरी (7,300 मे.वा.) जल विद्युत परियोजनाओं में परियोजनाओं के स्थापित करने, परिचालन करने और अनुरक्षण करने के कार्य को सौंपते हुए पहले विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 18ए के अन्तर्गत जीओआई के आदेश को सूचित किया।
26 मार्च 2003	दिहांग और सुबनसीरी बेसिन परियोजनाओं को करने के लिए एनएचपीसी और अरूणाचल प्रदेश सरकार (जीओएपी) के मध्य हस्ताक्षर किए जाने वाले प्रस्तावित सहमति ज्ञापन (एमओयू) का अनुमोदन एमओपी द्वारा किया गया था।
2 अक्तूबर 2003	एमओपी द्वारा अनुमोदित और जीओएपी की टिप्पणियों को उपयुक्त रूप से समावेशित करने के पश्चात् अन्तिम एमओयू जीओएपी को प्रस्तुत किया गया था।
अक्तूबर, 2003 से मार्च 2005	मामला एनएचपीसी द्वारा जीओएपी के साथ बहुत बार उठाया गया था लेकिन एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।
सितम्बर, 2003 से मार्च 2006	इसी बीच, सर्वेक्षण और जाँच-पड़ताल कार्य किया गया और डीपीआर बाद में जीओएपी द्वारा निजी विकासक/संयुक्त उद्यमों को आबंटित चार परियोजनाओं (सिंयाग मिडिल, सिंयाग लोवर, सुबनसीरी अपर और सुबनसीरी मिडिल) के संबंध में एनएचपीसी द्वारा तैयार किया गया था।
22 जुलाई 2005	जीओएपी के मंत्रीमंडल ने तीन अन्य परियोजनाओं के अतिरिक्त विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जीओआई द्वारा एनएचपीसी को सौंपी गई सिंयाग लोवर और सिंयाग मिडिल परियोजनाओं सहित पाँच जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन के लिए तीन निजी पार्टियों

तारीख/माह	संक्षिप्त ब्यौरा
	नामतः रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड, जेपी एसोसिएटस लिमिटेड और डीएस कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड का चयन किया। जीओएपी के मंत्रीमंडल ने परियोजना के समापन के समय पर उनकी तकनीकी सामर्थ्यता, वित्तीय सामर्थ्यता, विद्युत टैरिफ की रेंज और अन्य सुसंगत ब्यौरों का मूल्यांकन करने के लिए निजी पार्टियों के साथ समझौता करने के लिए प्रधान सचिव (वित्त), सचिव (विद्युत) और मुख्य अभियन्ता (जल) की बनी हुई एक समिति का गठन करने का भी निर्णय लिया।
29 जुलाई 2005	विद्युत विभाग, जीओएपी ने 22-7-2005 को आयोजित मंत्रीमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार समिति का गठन किया।
10 अगस्त 2005	जेपी एसोसिएटस लिमिटेड ने जीओएपी के मंत्रीमंडल द्वारा गठित समिति को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
12 अगस्त 2005	रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड और डी एस कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड ने जीओएपी के मंत्रीमंडल द्वारा गठित समिति को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
06 सितम्बर 2005	समिति ने तकनीकी और वित्तीय प्रत्यायकों को दर्शाते हुए अपने प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए सभी उपर्युक्त तीन कम्पनियों से अनुरोध किया। सभी तीन पार्टियों को समिति द्वारा 05-09-2005 को वार्ता के लिए भी बुलाया गया था। इन कम्पनियों के प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर समिति ने मूल नगद प्रवाह के अनुसार उच्चतम अभिलाभ के आधार पर निर्णय लेने की सिफारिश की।
07 सितम्बर 2005	इच्छुक पार्टियों के प्रस्तावों और उच्च अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट की जाँच-पड़ताल करने के पश्चात् जीओएपी के मंत्रीमंडल ने विकास के लिए लोवर सिंयाग एण्ड हिरोंग परियोजना जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को, टाटो-II एण्ड सियोम[34] परियोजना रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड को और नेईंग परियोजना डीएस कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड को देने का निर्णय लिया।
13 सितम्बर 2005	एनएचपीसी ने एमओपी को सूचित किया कि राज्य सरकार सिंयाग मिडिल और सिंयाग लोवर जल विद्युत परियोजनाओं का हस्तान्तरण निजी विकासकों को करने का विचार कर रही थी।
3 अक्तूबर 2005	विद्युत मंत्री ने अरूणाचल प्रदेश के मुख्य-मंत्री को लिखा कि ऐसे उन्नत स्तर पर एनएचपीसी से परियोजनाओं का हस्तान्तरण वांछनीय नहीं होगा और अरूणाचल प्रदेश के राज्य में प्रचालन कर रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को प्रतिकूल संकेत भेजना होगा। आगे यह भी बताया गया कि इससे राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र निवेशों में मात्र बाधा ही नहीं आएगी बल्कि केन्द्र-राज्य संबंधों पर भी प्रभाव पड़ेगा।
22 फरवरी 2006	जीओएपी ने बी.ओ.ओ.टी. आधार पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निजी विकासकों के साथ एमओएज कार्यान्वित किये।
18 मार्च 2006	विद्युत मंत्री ने प्रतिस्पर्धी बोली के बिना 100 मे.वा. से अधिक क्षमता वाली परियोजनाओं के कथित आबंटन पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हुए अरूणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा और मामलों को सुलझाने के लिए एक अत्यावश्यक बैठक आयोजित करने का भी सुझाव दिया।
29 मार्च 2006	जीओएपी ने एनएचपीसी को सूचित किया कि उन्होंने निजी विकासकों के साथ एक करार ज्ञापन (एमओए) किया है और सिंयाग मिडिल और सिंयाग लोवर के सभी दस्तावेजों को निजी विकासकों नामतः क्रमशः रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड और जेपी एसोसिएटस लिमिटेड को सौंपने के लिए एनएचपीसी से पूछा।

[34] सियोम एण्ड सिंयाग मिडिल का उपयोग विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विनेमय रूप से किया गया।

तारीख/माह	संक्षिप्त ब्यौरा
24 अप्रैल 2006	एनएचपीसी ने एमओपी की सलाह माँगी की क्या विधिक मार्ग के माध्यम से कम्पनी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा।
4-5 जुलाई 2006	एक बैठक का आयोजन विद्युत मंत्री, अरूणाचल प्रदेश के मुख्य-मंत्री, एनएचपीसी, एनटीपीसी और नीपको के सीएमडी के मध्य किया गया था जिसमें यह चर्चा/सहमति हुई थी कि डीपीआरज को तैयार करने वाले सीपीएसईज परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन करेंगे चूँकि पर्याप्त राशि इन सीपीएसईज द्वारा खर्च की गई थी।
07 अगस्त 2007	एनएचपीसी बोर्ड ने मामले पर चर्चा की और जीओएपी द्वारा परियोजनाओं के वापस लेने एवं कुछ नई परियोजनाओं के आबंटन के कारण परिवर्तित दृश्य लेख के मद्देनजर जीओएपी के अनुरोध के अनुसार परियोजनाओं के सर्वेक्षण और जाँच डॉटा तथा डीपीआरज के सौंपने का निर्णय लिया।
अगस्त 2007	बोर्ड प्रस्ताव एमओपी को भी प्रस्तुत किया गया था जिसने मत दिया कि यह परियोजनाओं का निजी विकासकों को सौंपने का एक कारपोरेट निर्णय था।
17 दिसम्बर 2007	निजी विकासक से वसूलीयोग्य धन की प्रमात्रा के सत्यापन के लिए मामला वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को भेजने पर एमओएफ ने जीओएपी द्वारा और परियोजनाओं के वापस लेने निजी विकासकों को हस्तान्तरण के लिए एमओपी से कारण माँगे।
20 जून 2008	एमओपी ने वास्तविक रूप से अपनी राय नहीं दी और मात्र एनएचपीसी की राय को प्रेषित किया कि एनएचपीसी को जीओएपी द्वारा एनएचपीसी से परियोजनाओं के वापिस लेने की जानकारी नहीं थी।
16 फरवरी 2009	जीओएपी ने पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के तैयार करने के लिए सिंयाग अपर को एनटीपीसी को आबंटित किया।
12 अगस्त 2009	जीओएपी के मंत्रीमंडल ने एनएचपीसी लिमिटेड से **सुबनसीरी मिडिल** एचईपी को वापस लेने को निर्णय लिया और जिन्दल पावर लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में विकास के लिए जल विद्युत विकास निगम अरूणाचल प्रदेश को आबंटित किया।
12 मार्च 2010	जीओएपी के मंत्रीमंडल ने संयुक्त उद्यम के रूप में विकास के लिए के.एस. के एनर्जी वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड को **सुबनसीरी अपर** एचईपी का आबंटन किया।
28 अक्तूबर 2009 और 18 मई 2010	जीओएपी ने जिन्दल पावर लिमिटेड और केएसके एनर्जी वेन्चरस लिमिटेड को क्रमशः सुबनसीरी मिडिल और सुबनसीरी अपर परियोजनाओं से संबंधित सभी दस्तावेजों को सौंपने के लिए एनएचपीसी को कहा।
27 सितम्बर 2007 और 16 जुलाई 2010	एमओपी ने किए गए व्यय की प्राप्ति पर निजी विकासकों को परियोजनाओं को सौंपने के लिए एनएचपीसी को निदेश दिए।
अप्रैल 2008 से फरवरी 2011	एनएचपीसी ने अपेक्षित राशि की प्राप्ति पर निजी विकासकों को सर्वेक्षण एवं जाँच दस्तावेजों सहित तीन परियोजनाओं[35] को सौंपा। चौथी परियोजना अर्थात सुबनसीरी अपर भी निजी विकासक (जून 2012) को सौंपे जाने की प्रक्रिया में है।

[35] *सिंयाग लोवर, सिंयाग मिडिल और सुबनसीरी मिडिल परियोजनाएं।*

उपर्युक्त से यह विदित है किः

- प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा विशिष्ट निदेशों (अगस्त 1999) के बावजूद कि एक एसपीवी का गठन अरूणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र बेसिन में दिहांग और सुबनसीरी बहुप्रयोजन परियोजनाओं के सर्वेक्षण, जाँच और कार्यान्वयन के लिए किया जाना था फिर भी किसी एसपीवी का गठन एमओपी द्वारा नहीं किया गया था। एमओपी, सीईए, सीडब्ल्यूसी, राज्य सरकारों इत्यादि के प्रतिनिधित्व सहित यथा परिकल्पित एसपीवी से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुगमता हुई होती।

- जीओआई की जल विद्युत विकास 1998 की नीति ने मात्र 100 मे.वा. तक हाइडल परियोजना के लिए एमओयू रूट के माध्यम से एक विकासक के चयन के लिए राज्य सरकारों को अनुमति दी। इसके अतिरिक्त, 2008 की जल विद्युत नीति के अनुसार राज्य सरकारों को निजी क्षेत्र को संभाव्य स्थलों के देने के लिए पारदर्शी क्रियाविधि का अनुसरण करना अपेक्षित है।

  तथापि, जीओएपी ने 500 मे.वा. और 2,700 मे.वा. के मध्य की रेंज में प्रस्तावित क्षमताओं वाली पाँच जल परियोजनाओं[36] (जीआआई द्वारा एनएचपीसी को आबंटित की गई दो परियोजनाओं सहित अर्थात सिंयाग मिडिल और सिंयाग लोवर परियोजना) के आबंटन के लिए मात्र तीन निजी पार्टियों[37] का चयन किया (जुलाई 2005)। दो अन्य परियोजनाओं अर्थात सुबनसीरी मिडिल (1600 मे.वा.) और सुबनसीरी अपर (2000 मे.वा.), जिन्हें प्रारंभिक रूप से जीओआई द्वारा एनएचपीसी को आबंटित किया गया था, को जीओएपी द्वारा क्रमशः जिन्दल पावर लिमिटेड और केएसके एनर्जी वेन्चरस प्राइवेट लिमिटेड वाली संयुक्त उद्यम कम्पनियों को भी आबंटित किया गया था (क्रमशः अगस्त 2009 और मार्च 2010) जिनमें जीओएपी की 26 *प्रतिशत* इक्विटी धारिता थी और शेष इन निजी विकासकों की थी। इस प्रकार, 1998 और 2008 की जल पॉलिसियों में यथापरिकल्पित जल विद्युत परियोजनाओं के आबंटन में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धात्मकता की अनदेखी की गई थी।

  एक और परियोजना अर्थात सिंयाग अपर (जीओआई द्वारा एनएचपीसी को आबंटित छः परियोजनाओं में से) का आबंटन मात्र पूर्व-व्यवहार्य रिपोर्ट के तैयार करने के लिए जीओएपी द्वारा एनटीपीसी को किया गया था (फरवरी 2009)। इस प्रकार, छः परियोजनाओं में से मात्र एक परियोजना (सुबनसीरी लोवर) का एनएचपीसी द्वारा कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- इसके अतिरिक्त, जनवरी 1999 में कल्पित इन छः परियोजनाओं का आबंटन जीओआई द्वारा एनएचपीसी को मई 2000 में किया गया था। इनमें चार परियोजनाओं (सिंयाग मिडिल, सिंयाग लोवर, सुबनसीरी मिडिल और सुबनसीरी अपर) के डीपीआरज को सितम्बर 2003 और मार्च 2006 के मध्य एनएचपीसी द्वारा तैयार किया गया था। तथापि, इन चार

---

[36] *सिंयाग लोवर (2700 मे.वा.), सिंयाग मिडिल (1000 मे.वा.), हिरोंग (500 मे.वा.), टाटो-II (700 मे.वा.) और नेईंग (1000 मे.वा.)-(स्त्रोतः सीईए वेबसाईट)*

[37] *रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड, जेपी एसोसिएटस लिमिटेड और डीएस कन्सट्रक्शन्स लिमिटेड*

परियोजनाओं को बाद में जीओएपी द्वारा निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को आबंटित किया गया था (फरवरी 2006, अगस्त 2009 और मार्च 2010) जो अभी भी कार्यान्वयन के प्रारंभिक स्तर पर हैं (मार्च 2012) चूँकि निजी विकासक/संयुक्त उद्यम विभिन्न अनुमतियों के प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। पूर्व-व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए एनटीपीसी को आबंटित (फरवरी 2009) एक परियोजना (सियाग अपर) भी कार्यान्वयन के प्रारंभिक स्तर में है। **इस प्रकार, एसपीवी से एनएचपीसी को परियोजनाओं के आबंटन करने और बाद में जीओएपी द्वारा निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों/एनटीपीसी को चालू करने का निर्णय लेने के परिणामस्वरूप जनवरी 1999 में कल्पित कुल छः परियोजनाओं में से पाँच परियोजनाओं को 12 वर्षों की अवधि बीतने के पश्चात् भी अब तक चालू नहीं किया जा सका था हालांकि सीईए प्रतिमानों के अनुसार बड़ी जल परियोजना को चालू करने के लिए परियोजना के संप्रत्ययीकरण से लगभग 10 वर्ष लगते हैं।** शेष एक परियोजना (सुबनसीरी लोवर) एनएचपीसी द्वारा निष्पादन के अन्तर्गत है और दिसम्बर 2016 तक पूरी होने की प्रत्याशा है।

मंत्रालय ने बताया (मार्च 2012) किः

- एसपीवी के गठन के लिए एक नोट की शुरूवात एमओपी द्वारा की गई थी लेकिन विद्युत मंत्री ने निर्णय लिया कि इन परियोजनाओं का निष्पादन एनएचपीसी द्वारा किया जाए जो बेहतर सज्जित है। एमओपी ने यह भी बताया कि एनएचपीसी से परियोजनाओं का वापिस लेना जल विद्युत परियोजनाओं के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने के जीओएपी के निर्णय पर आधारित था और परियोजनाओं का निष्पादन संबंधित राज्य सरकार के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् ही हो सकता है।
- प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकासकों के चयन के लिए राज्यों को निर्देश देते हुए जीओआई के दिशानिर्देश हैं। प्रतिस्पर्धा के लिए मानदण्ड राज्यों पर छोड़ दिए गए थे और टैरिफ आधारित बोली की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को निज़ी क्षेत्र को संभाव्य स्थलों के देने के लिए एक पारदर्शी क्रियाविधि का अनुसरण करना अपेक्षित था। एमओपी ने जल नीति को लागू करने के लिए सभी प्रयास किए और प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर पारदर्शी रूप में विकासकों को परियोजनाएं देने के लिए जीओएपी से लगातार रूप से अनुरोध किया। इस संबंध में, एमओपी ने आबंटन की विधि, निवेशों के लिए अनुरोध के प्रचार हेतु अपनाई गई विधियों, पूर्व-अर्हता स्तर पर प्राप्त हुई बोलियों की सूची और अन्तिम वित्तीय बोलियों पर मामले वार ब्यौरे के लिए जीओएपी से अनुरोध किया था। तथापि, जीओएपी का उत्तर प्रतिक्षित था।
- इन परियोजनाओं के विकासक निष्पादन प्रारंभ करने के लिए पूर्वस्थिति के रूप में अपेक्षित आवश्यक सांविधिक अनुमतियों के प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं।

मंत्रालय के उत्तर की निम्नलिखित के मद्देनजर समीक्षा की जानी हैः

- एसपीवी की एमओपी, सीईए, सीडब्ल्यूसी और जीओएपी के प्रतिनिधित्व सहित परिकल्पना की गई थी। एसपीवी में सभी संबंधित पणधारियों के प्रतिनिधियों के होने से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन को शीघ्र पूरा करने में सुविधा होगी।

- मंत्रालय का उत्तर स्वयम् दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धी बोली के लिए जीओआई के दिशानिर्देश हैं और एमओपी के पास यह पुष्टि करने के लिए कोई सूचना/अभिलेख नहीं है कि जीओएपी ने निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को परियोजनाओं के आबंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई थी। अक्तूबर 2003 से जब एनएचपीसी ने चार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए जीओएपी से सम्पर्क किया तब जीओएपी ने जुलाई 2005 तक कोई कार्रवाई नहीं की। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बजाए जीओएपी ने विकासकों को इनमें से दो परियोजनाओं के आबंटन के लिए निजी विकासकों की पहचान की प्रक्रिया प्रारंभ की। अन्तिम रूप से, 22 फरवरी 2006 को एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए निजी विकासकों को दो परियोजनाओं का आबंटन किया गया था। यह नोट किया जाए कि जीओआई द्वारा एनएचपीसी को चार परियोजनाओं का आबंटन किया गया था (मई 2000)। बाद में इन्हें जीओआई/एनएचपीसी के साथ कोई परामर्श किए बिना जीओएपी द्वारा निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को आबंटित किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन चार परियोजनाओं में से दो के आबंटन की प्रक्रिया में अनियमित रूप से विलम्ब हुआ था और इन्हें निजी विकासकों सहित संयुक्त उद्यमों को एक परियोजना को अगस्त 2009 में और दूसरी को मार्च 2010 में आबंटित किया गया था, यद्यपि, एनएचपीसी ने सभी उपर्युक्त चार परियोजनाओं के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए जीओएपी से अक्तूबर 2003 में सम्पर्क किया।

- मंत्रालय का उत्तर यह भी स्वीकार करता है कि ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के प्रारंभिक स्तर में हैं। परियोजनाओं के आबंटन में अनियमित विलम्ब और इन चार परियोजनाओं के निष्पादन में निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों द्वारा और अधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप आज तक इन परियोजनाओं का निष्पादन नहीं हुआ है।

इस प्रकार, एसपीवी से एनएचपीसी और फिर निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को अन्तरण के निर्णय से केवल विलम्ब में वृद्धि हुई और परियोजनाओं का निष्पादन अभी प्रारंभ किया जाना है। इसलिए निजी विकासकों/संयुक्त उद्यमों को आबंटित चार परियोजनाओं के डीपीआरज के अनुसार 6,600 मे.वा. प्रति वर्ष बिजली के उत्पादन का अनुमानित अभिलाभ प्राप्त नहीं हुआ है।